क्रम संख्या–184

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 30 नवम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 09, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 354/XXXVI(3)/2016/69(1)/2016

देहरादून, 30 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2016"** पर दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तंराखण्ड का अधिनियम संख्या 31, वर्ष 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 31, वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का नाम उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 4 का प्रतिस्थापन 2. उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"(1) प्रत्येक समिति सदस्यों की ऐसी संख्या से संरचित होगी जैसी विहित की जाए:

परन्तु यह कि सदस्यों की संख्या बीस से कम और चालीस से अधिक नहीं होगी।

(2) समिति के सदस्यों की कुल संख्या के चार बटा पाँच से अन्यून सदस्य जिला पंचायत और जिले में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार विहित रीति से निर्वाचित किए जायेंगे।

(3) जहाँ जिले के नगरीय क्षेत्र में एक से अधिक नगर पालिका समाविष्ट हों, वहाँ ऐसी नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से समिति के सदस्यों की संख्या, जो ऐसी नगरपालिकाओं में ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, वितरित किया जायेगा।

(4) समिति के शेष अधिकतम एक बटा पाँच सदस्य निम्नलिखित होंगे:–

(क) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक मंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा,

(ख) अध्यक्ष, जिला पंचायत समिति का पदेन उपाध्यक्ष होगा,

(ग) ऐसे अन्य सदस्य, जिन्हें इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि इस उपधारा के अधीन सदस्यों की संख्या, समिति के कुल सदस्यों के एक बटा पाँच भाग से अधिक न होगी, राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा।

(5) उपधारा (4) खण्ड (ग) के अधीन नाम–निर्दिष्ट सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(6) समिति का कोई सदस्य, समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम–निर्दिष्ट नहीं करेगा।

(7) यदि समिति का कोई निर्वाचित सदस्य यथास्थिति नगरपालिका या जिला पंचायत का सदस्य नहीं रह जाता है, तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(8) यदि समिति के किसी निर्वाचित सदस्य का पद उसकी मृत्यु, त्याग–पत्र या अन्य कारण से रिक्त होता है तो रिक्ति को उपधारा (2) के अधीन उपबंधित रीति से उसके शेष पदावधि के लिए भरा जायेगा।"

धारा 6 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

3 मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के पश्चात् दो नई उपधारा (3) एवं (4) रख दी जायेगी तथा पूर्व में विद्यमान उपधारा (3), (4) एवं (5) उपधारा (5) (6) एवं (7) के रूप में पुनर्संख्यांकित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"(3) विधान सभा के ऐसे सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा सभा सचिव के रूप में विभिन्न जनपदों में सह–प्रभारी नियुक्त होगें, वह सम्बन्धित जिले की समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होगें।"

(4) अपने जिले की समिति की बैठकों में प्रथम वर्ष हेतु सम्बन्धित जिले के क्षेत्र पंचायत प्रमुखों की कुल संख्या के 1/2 प्रमुख एवं अवशेष प्रमुख अगले वर्ष की समिति की बैठकों में, हिन्दी वर्णमाला के अनुसार रोस्टर तैयार कर चक्रानुक्रम आधार पर, स्थायी आमंत्रित होंगे"

धारा 7 का प्रतिस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा 7 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"(1) जिला मजिस्ट्रेट समिति का सचिव होगा और वह समिति के अभिलेखों का अनुरक्षण करने, समिति की बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करने और विनिश्चयों और अन्य आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों की संसूचना देने के लिए उत्तरदायी होगा और समिति को ऐसी सहायता उपलब्ध करायेगा, जो उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

स्पष्टीकरणः– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद "जिलाधिकारी" के अंतर्गत मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी सम्मिलित हैं।

(2) मुख्य विकास अधिकारी समिति का पदेन संयुक्त सचिव होगा एवं जिले का अर्थ एवं संख्या अधिकारी, समिति का ऐसी रीति से, जैसा समिति द्वारा निदेशित किया जाए, समिति की सहायता करने के लिए पदेन उप सचिव होगा।"

धारा 9 का अंतःस्थापन

5. मूल अधिनियम की धारा 9 में खण्ड (त) के पश्चात् खण्ड (थ) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(थ) जिला योजना समिति जिले के लिए योजनाओं की स्वीकृति/अनुमोदन केवल ऐसी रीति से करेगी, जैसे राज्य सरकार इस निमित्त नियमों के द्वारा निर्धारित करे।"

धारा 12 का प्रतिस्थापन

6. मूल अधिनियम की धारा 12 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"12. समिति जिले के ग्रामीण स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजना पर विचार करते हुए जिले के लिए विकास योजना के प्रारूप को अंतिम रूप देगी। जिला योजना समिति की भूमिका परामर्शी एवं अनुश्रवणी होगी।"

धारा 15 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन

7. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।"

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र खुल्वे,
प्रमुख सचिव।